झारखण्ड गजट
असाधारण अंक
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या – 159 राँची, गुरुवार, 26 मार्च, 2026 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

27 जुलाई, 2023

ज्ञापांक : 01/स्था० (विविध)-111/2022 2268/वि०--

विषय : वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के अंतर्गत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण के संबंध में ।

राज्य सरकार में अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1348 दिनांक 13.02.2015 एवं अधिसूचना संख्या 4871 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा 'झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015' का गठन किया गया है ।

2. झारखण्ड सरकार के अधीनस्थ अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 20.06.2019 तक 10 वर्षों की लगातार सेवापूर्ण कर चुके अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों के सेवा नियमितीकरण हेतु विभागीय स्तर पर समिति का गठन किया गया ।

3. वित्त विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उप-कोषागार, सांस्थिक वित्त प्रभाग, भविष्य निधि निदेशालय एवं राष्ट्रीय बचत निदेशालय में कम्प्यूटर ऑपरेटर/डाटा इंट्री ऑपरेटर/स्टॉफ कार चालक/चालक/समूह 'घ' के पदों पर अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमितीकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए ।

4.कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1348 दिनांक 13.02.2015 एवं अधिसूचना संख्या 4871 दिनांक 20.06.2019 में नियमितीकरण हेतु निर्धारित शर्तों के आधार पर प्राप्त सभी प्रस्तावों की समीक्षा विभागीय सेवा नियमितीकरण समिति के द्वारा की गई । समिति द्वारा सम्यक्विचारोपरांत अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत निम्नकर्मियों की सेवाको नियमितीकरण के योग्य पाया गया और उनकी सेवा नियमितीकरण की अनुशंसा की गयी :-

(क) मुख्यालय स्थापना :-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कोटि	वेतनमान (7th CPC के अनुसार)
1	श्री नयन कुमार दास	स्टॉफ कार चालक	पि०वर्ग-2	Level-02
2	श्री मिथलेश कुमार	स्टॉफ कार चालक	सामान्य	Level-02
3	श्री अशोक कुमार	आदेशपाल	सामान्य	Level-01
4	मो० शाहिद अली	आदेशपाल	सामान्य	Level-01

(ख) कोषागार/उपकोषागार :-

क्र०सं०	नाम	पदनाम	कोटि	वेतनमान (7th CPC के अनुसार)
1	श्रीमती चम्पा कुमारी	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अनु०ज०जा०	Level-04
2	मो० शकील अहमद	डाटा इंट्री ऑपरेटर	सामान्य	Level-04
3	मो० वसीम	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अ०पि०वर्ग-1	Level-04
4	श्री शुभेन्दु कुमार सेनगुप्ता	डाटा इंट्री ऑपरेटर	सामान्य	Level-04
5	श्री शीतल कुमार दत्ता	डाटा इंट्री ऑपरेटर	सामान्य	Level-04
6	श्री बिक्रम देवगम	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अनु०ज०जा०	Level-04

7	श्री अजय कुमार सिन्हा	डाटा इंट्री ऑपरेटर	सामान्य	Level-04
8	श्री सुधीर कुमार	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अ०पि०वर्ग-1	Level-04
9	श्री राजेश कुमार मन्जवे	डाटा इंट्री ऑपरेटर	सामान्य	Level-04
10	श्री अमित कुमार सिन्हा	डाटा इंट्री ऑपरेटर	सामान्य	Level-04
11	श्री सुभाषचन्द्र	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अ०पि०वर्ग-1	Level-04
12	श्री शंकर प्रसाद	डाटा इंट्री ऑपरेटर	पि०वर्ग-2	Level-04
13	श्री प्रेम प्रकाश सिंह	डाटा इंट्री ऑपरेटर	पि०वर्ग-2	Level-04
14	श्री प्रकाश कुमार	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अ०पि०वर्ग-1	Level-04
15	श्री संतोष कुमार	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अ०पि०वर्ग-1	Level-04
16	श्री जीतेन्द्र माजी	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अ०पि०वर्ग-1	Level-04
17	श्री मनोज कुमार	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अनु०जा०	Level-04
18	श्रीमती सुजाता शर्मा	डाटा इंट्री ऑपरेटर	सामान्य	Level-04
19	श्री मृत्युंजय कुमार पाण्डेय	डाटा इंट्री ऑपरेटर	सामान्य	Level-04
20	श्रीमती लवंगलता आर्य	डाटा इंट्री ऑपरेटर	अ०पि०वर्ग-1	Level-04
21	श्री रंजन प्रसाद साह	अनुसेवक	अ०पि०वर्ग-1	Level-01

(ग) सांस्थिक वित्त प्रभाग :-

क्र०सं०	**नाम**	**पदनाम**	**कोटि**	**वेतनमान (7th CPC के अनुसार)**
1	श्री अरूण कुमार	चालक	सामान्य	Level-02
2	श्री जगन्नाथ ठाकुर	अनुसेवक	सामान्य	Level-01

(घ) भविष्य निधि निदेशालय :-

क्र०सं०	**नाम**	**पदनाम**	**कोटि**	**वेतनमान (7th CPC के अनुसार)**
1	श्री सुरेन्द्र महली	चालक	अनु०ज०जा०	Level-02
2	श्रीमती सरस्वती देवी	पदचर	सामान्य	Level-01

5. उपरोक्त कंडिका-4 में सूचीबद्ध कुल 29 (उनतीस) कर्मी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1348 दिनांक 13.02.2015 एवं अधिसूचना संख्या 4871 दिनांक 20.06.2019 के द्वारा सेवा नियमितीकरण हेतु निर्धारित सभी शर्तों को पूर्ण करते हैं । इनस भी कर्मियों के सेवा नियमितीकरण प्रस्ताव में आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया गया है ।

6. अतः सम्यक्विचारोपरांत राज्य सरकार ने विभागीय स्तर पर सेवा नियमितीकरण हेतु गठित समिति द्वारा अनुशंसित कंडिका-4 में सूचीबद्ध मुख्यालय स्थापना, कोषागार/उपकोषागार, सांख्यिक वित्त एवं भविष्य निधि निदेशालय में डाटा इंट्री ऑपरेटर/स्टॉफ कार चालक/चालक/समूह 'घ'के पदों पर अनियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत कुल 29 (उनतीस) कर्मियों के सेवा नियमितीकरण करने का निर्णय लिया है।

7. सेवा नियमितीकरण संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2917/वि०दिनांक 07.11.2022 के क्रम में दिनांक 25.07.2023 की बैठक के मद संख्या 08 में दी गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 159 – 50